AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"

प्रेसनोट थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा। **13.10.2021**

थाना जगदीशपुरा पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में हुयी सोने के बिस्कुट, आभूषण एवं लाखों रूपये की चोरी वाली घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 05 सोने के बिस्कुट व 24 लाख रूपये बरामद....

दिनांक 01.09.2021 को वादी प्रेमचन्द्र पुत्र स्व0 जोरावर सिंह नि0 आवास विकास कालौनी थाना जगदीशपुरा द्वारा थाना पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 07.08.2021 को प्रार्थी लॉकडाउन खुलने के पश्चात बेटी को स्कूल छोड़ने अपनी पत्नी, पुत्र व पुत्री के साथ दुर्गापुर बंगाल गया था एवं घर पर अकेली बेटी थी। प्राथी का भांजा सत्यनारायण मेरी उपस्थिती में घर आया था और मेरी उपस्थिती में ही वापस चला गया था। प्रार्थी की अनुपस्थिती में दोबारा आया बेटी ने आवाज पहचान कर दरवाजा खोल दिया और दूसरी मंजिल स्थित अपने कमरे में पढ़ाई करने लगी, मुझे शक है इसी बीच मौका पाकर मेरा भांजा अपने साथियों को बुलाकर अलमारी में रखे 02 लाख रूपये, सोने के बिस्कुट एवं सोने के आभूषण चोरी कर के ले गया है। इस सम्बन्ध में थाना जगदीशपुरा पर मु0अ0सं0 541/21 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे थे। इसी क्रम में दिनांक 12.10.2021 को चैकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी आवास विकास कालौनी में जिस अभियुक्त द्वारा घर में सोने के आभूषण आदि की चोरी की थी वह सोने को बेचने व छुपाने के लिए किसी व्यक्ति के इन्तजार में वीएस टावर के पास स्थित पानी की टंकी के पास खड़ा हुआ है।

इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए बताये स्थान पर पहुंच एक बारगी दबिश देते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक बैग में 05 बिस्कुट पीली धातु, रू0 24,00,000/- व 01 चाबी बरामद हुयी।

पूछताछ का विवरण :-

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अपना नाम रोहित बताया। बरामदगी के सम्बन्ध में बताया गया कि आवास विकास निवासी प्रेमचन्द्र मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। मेरा उनके घर पर आना जाना है और मैं कभी भी उनके घर जा सकता हूं। दिनांक 07 अगस्त 2021 को जब वह अपनी पत्नी व बेटे के साथ बेटी को स्कूल छोड़ने दुर्गापुर बंगाल गये थे तो मैंने मौके का फायदा उठाते हुए उनके घर गया। उनकी बेटी ने मेरे आवाज लगाने पर दरवाजा खोला, चूंकि मेरा घर पर आना जाना है तो मेरे ऊपर कोई भी शक नहीं करता है।

दरवाजा खोलने के बाद वह अपने काम में लग गयी थी। मैंने पहले ही एक दिन मौका पाकर सेफ की एक चाबी चोरी कर ली थी, उसी चाबी से मैंने सेफ खोलकर उसमें रखे लगभग पौने दो लाख रूपये नगद, 07 पीस सोने के बिस्कुट चोरी कर उसी चाबी से सेफ का लॉक लगाकर बन्द कर दिया था।

प्रेमचन्द्र घर आने के बाद अपने काम में व्यस्त हो गये थे और सेफ खोलकर नहीं देखी, इस दौरान मेरा घर पर आना जाना था ताकि मुझ पर कोई शक नहीं करे। अगस्त महीने के अन्त में जब उन्होंने सेफ का लॉक खोलकर देखा तब उन्हें चोरी की जानकारी हुयी। मेरे घर पर आने जाने के कारण उनका मुझ पर शक नहीं गया। प्रेमचन्द्र के दुर्गापुर बंगाल जाने वाले दिन उनका भांजा सत्यनारायण भी घर पर आया था, इसलिए उनका पूरा शक सत्यनारायण पर था और उन्होंने सत्यनारायण के नाम से थाने में रिपोर्ट लिखा दी थी।

कुछ दिन पहले मैं इटावा गया जहां मैंने एक ब्रोकर के माध्यम से दो सोने के बिस्कुट (वजन लगभग 1.5 किग्रा) 60 लाख रूपये में बेच दिये। उनमें से 10 लाख रूपये मैंने अपने खाते में जमा कर दिये। 05 लाख रूपये मैंने अपने रिश्तेदार की लड़की के खाते में जमा कराये थे, क्योंकि मैंने उससे इसी वर्ष उधार लिये थे। मेरे ऊपर कर्जा हो गया था तो कर्जे वालों को रूपये देने के बाद मेरे पास शेष 24 लाख रूपये व 05 सोने के बिस्कुट शेष बचे थे, जिन्हें छुपाने आज मैं अपनी ननिहाल इटावा जा रहा था।

➢ गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण :–

01. रोहित पुत्र स0 बारेलाल नि0 ग्राम महलई थाना जसबन्तनगर जनपद इटावा।

➢ बरामदगी का विवरण :–

01. रू0 24,00,000/– नगद।
02. 05 बिस्कुट पीली धातु कुल वजन 03 किलो 962 ग्राम।
03. 01 चाबी।
04. 01 मोबाइल।

आपराधिक इतिहास :–

01. मु0अ0सं0 541/21 धारा 380 भादवि थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा।

➢ पुलिस टीम :–

01. प्रभारी निरीक्षक श्री अनूप कुमार तिवारी मय टीम थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।